न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 351/2017

उनवान

1. गणेश कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल मोदी उम्र 69 साल
2. सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल मोदी उम्र 65 साल
3. गोपाललाल पुत्र स्व. श्री मोहनलाल मोदी उम्र 61 साल

समस्त जाति महाजन निवासी वार्ड न० 20 छावनी नीमकाथाना

प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणधीर सिंह
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणधीर सिंह
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणधीर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण सिरोही तहसील नीमकाथाना

4. अनोप देवी पत्नी चतरलाल सिंह जाति राजपूत निवासी मगवाड़ी तहसील नीमकाथाना
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी ढाणी कुटी की तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु
7. रमेश गोदारा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी बालाजी द्वार के पास ग्राम चला तहसील नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136
राजस्थान भू-राजस्व अधि०

उपस्थित ! श्री रोशन अग्रवाल एड० - प्रार्थीगण
श्री शम्भुदयाल अग्रवाल एड० - प्रार्थी न० 2
श्री होशियार सिंह बडसरा एड० - अप्रार्थी न० 6
श्री रामावतार सोम्बा एड० - अप्रार्थी न० 7
श्री देशबन्धु शर्मा एड० - अप्रार्थी न० 1 ता 4

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

निर्णय — दिनांक 18-6-2018

संक्षेप में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि पुराने ख० न० 574 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, ख० न० 595 रकबा 46 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसकी खातेदारी रणधीर सिंह पुत्र सुरजमल सिंह राजपूत

----2---

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

के नाम दर्ज थी। भूमि ख०न० 574 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व ख०न० 595 रकबा 46 बीघा 1 बिस्वा में से 32 बीघा 10 बिस्वा कुल मोहनलाल मोदी ने खातेदार रणधीर सिंह पुत्र सुरजबक्स सिंह से दिनांक 8-10-1963 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र मे भी ख०न० 574 को रोड के पश्चिमी तरफ व 595 का जो भाग रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा क्रय किया गया उसे रोड के पूर्वी तरफ बताया गया था। उक्त विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण सं 165 दिनांक 8-12-1963 के जरिए राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टी कर दी गई। गिरदावरी जो मौके के अनुसार की जाती है संवत 2024 से 2027 मे 595/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गै०मु० सड़क पी०डब्ल्यू०डी० ख०न० 595/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा रणधीर सिंह पुत्र सुरजबक्स सिंह राजपूत व 595/3 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा मोहनलाल महाजन व ख०न० 574/2 अर्थात जो खातेदारी व कब्जे मे है इसी अनुसार गिरदावरी मे पृथक पृथक जीन्स (फसल) दर्ज है। इससे आगे भी इसी अनुसार इन्द्राजात दर्ज है। मोहनलाल मोदी ने अपने जीवनकाल मे ही जरिये पंजीबद्ध विभाजन पत्र जो उप पंजीयन नीमकाथाना मे दिनांक 24-5-1983 को -पंजीबद्ध है के द्वारा विभाजन कर दिया गया। उक्त विभाजन पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण सं 790 दिनांक 19-8-83 के द्वारा (जमाबंदी सं 2035 से 2038) मे ख०न० 595/3 के बजाय मोहनलाल पुत्र चौथमल ख०न० 595/3/1737 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा गणेश कुमार पुत्र मोहनलाल ख०न० 595/3/1738 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा बृजमोहन पुत्र मोहनलाल ख०न० 595/3/1739 रकबा 6 बीघा बिस्वा सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल ख०न० 595/3/1740 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा गोपाल लाल पुत्र मोहनलाल ख०न० 595/3/1741 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा की प्रविष्टियां स्वीकृत की गई एवं ख०न० 574/2 का इन्द्राज बदस्तूर रहा। इस जमाबंदी मे खातेदार मोहनलाल पुत्र चौथमल का खाता पृथक से ख०न० 574/2 व 595/3 की प्रविष्टियां दर्ज थी अर्थात 595/3 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज मोहनलाल पुत्र चौथमल मोदी के नाम से पृथक से दर्ज था। इस नामा० सं 790 के द्वारा ख०न० 595/3 के नये बटा नम्बर 595/3/1737 से 595/3/1741 कुल 5 बटा नम्बर डालकर दर्ज करते हुए इसी अनुसार तत्समय नक्शे मे तरमीम कर दी गई। नवीन भू-प्रबंध के दौरान गत ख०न० 595/2 के नये ख०न० 896 रकबा 3.15 हे बनाये गये है। एवं ख०न० 894 रकबा 0.01 व 895 रकबा 0.018 किस्म गैमु पाइ जो भी गत ख०न० 595/3 का ही भाग रहे है को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करना चाहिये था उसकी बजाय अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थीगण के भूमि पुराने ख०न० 595/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के नये ख०न० 896 3.15 हे है। उक्त प्रविष्टि भू-प्रबन्ध से पूर्व अभिलिखित एवं मौके अनुसार शुद्ध होनी चाहिए वर्तमान ख०न० 896/2521 रकबा 1.64 व ख०न० 862 रकबा 1.62 खातेदार मोहनलाल पुत्र चौथमल महाजन

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(मोदी) सा॰ दावनी नीमकाथाना, ख॰ नं॰ 896/2522 रकबा 1.63 ख॰ नं॰ 894 रकबा 0.01 खातेदार गणेश कुमार पुत्र मोहनलाल (मोदी) सा॰ दावनी नीमकाथाना ख॰ नं॰ 896/2523 रकबा 1.63 ख॰ नं॰ 895 रकबा 0.01 खातेदार बृजमोहन पुत्र मोहनलाल (मोदी) सा॰ दावनी नीमकाथाना ख॰ नं॰ 896/2524 रकबा 1.64 खातेदार सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल (मोदी) सा॰ दावनी नीमकाथाना ख॰ नं॰ 896/2525 रकबा 1.64 खातेदार - गोपाल लाल पुत्र चौथमल मदनलाल (मोदी) सा॰ दावनी नीमकाथाना। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि वर्णित प्रार्थना पत्र के खातेदारान एवं ख॰ नं॰ का अंकन प्रार्थना पत्र की मद नं॰ 7 में अंकितानुसार किये जाने का आदेश फरमाया जावे एवं नवीन नम्बरो मे दुरुस्ती फरमाई जाकर ख॰ नं॰ 896 का इन्द्राज प्रार्थीगण की भूमि के पूर्वी ओर ख॰ नं॰ 897 के पास तथा ख॰ नं॰ 896/2521 के दक्षिण मे ख॰ नं॰ 896/2522 व उसके नीचे क्रमशः 896/2523 व उसके नीचे ख॰ नं॰ 896/2524 व उसके नीचे ख॰ नं॰ 896/2525 का मद नं॰ 7 के अनुसार फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया।

अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने जरिये वकील जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन मे अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति के विपरीत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गयी है। जो कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदारान के नाम चली आ रही है। उत्तरदातागण की खातेदारी की भूमियो से प्रार्थीगण एवं अन्य का कोई सम्बन्ध व सरोकार कभी नही रहा है। उक्त भूमियो कि खातेदारी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्सेनुसार प्रतिपक्षी। महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है। जिसको उत्तरदाता द्वारा रमेश गोदारा पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बालाजी द्वार के पास चला को जरिए इकरारनामा दिनांक 4-6-2016 को विक्रय कर दिया गया था। विक्रय कि गई भूमि का रमेश क्रेता है। उक्त विक्रय की जानकारी प्रार्थीगण को विक्रय के समय से ही रही है। प्रार्थीगण राजनैतिक प्रभावशाली है। उक्त भूमियो की खातेदारी व डेवलपमेन्ट के दौरान नवीन ख॰ नं॰ दर्ज होने की जानकारी प्रार्थीगण को शुरु से ही रही है। श्री मोहनलाल के हक में पंजिकृत विलेख मे उक्त भूमियो की बाबत किसी दिशा का उल्लेख नही है। उक्त भूमियो की बाबत उत्तरदाता या पूर्व खातेदार रणधीर सिंह कि प्रकरण मे वर्णित पंजिकृत विभाजन दिनांक 24-5-1983 के सम्बन्ध मे कोई स्वीकृति नही रही है। उक्त अभाव में उक्त विभाजन पत्र उत्तरदाता के मुकाबले प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। विभाजन लेख व इससे सम्बन्धित नामान्तकरण व प्रविष्टि से उत्तरदाता पाबन्द नही है। उत्तरदाता अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमिया को इस प्रकार से उपयोग व उपभोग मे लेने व विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र है। ....4....

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

सत। उत्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे पर खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं०5 ने जरिये वकील जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन मे अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यो के आधार पर विपरीत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत करने की कार्यवाही की है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो कि खातेदारी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्सेनुसार अप्रार्थीगण सं।ता5 के नाम दर्ज चली आ रही है। एवं बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उपरोक्त की खातेदारी व कब्जे की भूमियो से प्रार्थीगण व अन्य का कोई सम्बंध व सरोकार कभी नही रहा ना है। उपरोक्त खातेदारान को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए रूपयो की आवश्यकता होने के कारण उक्त कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमियो को 2/3 हि० सम्पूर्ण का विक्रय उत्तरदाता सुरेन्द्र कुमार को विलेखबद्ध विक्रय राशि 25,00,000/- रूपयो में विक्रय करना तय कर विक्रय राशि मे से दिनांक 18.9.17 के दो लाख रूपये साई पेटे के रुप मे जिसमे एक चैक एस डी एफ सी बैंक शाखा नीमकाथाना बाबत रूपये एवं चैक दूसरा एच डी एफ सी बैंक शाखा नीमकाथाना बाबत रूपये एक लाख के विक्रेतागण अप्रार्थीगण ने प्राप्त किये। भूमि का कब्जा उत्तरदाता को सम्भला दिया। क्रेता / द्वितीय पक्ष / उत्तरदाता शेष तेईस लाख रूपये अदा कर अपने या अपने किसी भी प्रतिनिधी के नाम विधिवत बैनामा उप पंजियक कार्यालय से पंजिकृत करा सकेगा। उक्त भूमियो के सभी वैधानिक अधिकार जो आज से पूर्व विक्रेतागण को प्राप्त थे मय पाळ डोळा वृक्षादि के क्रेता। द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगये है। उक्त भूमि पर उत्तरदाता का कब्जा है। बिना कब्जा कानूनन प्रकरण चलने योग्य नही है। विक्रय लेख मे कोई दिशा का उल्लेख नही है। ना ही मूल खातेदार व क्रेता के मध्य कोई बटवारा हुआ है। इसके स्वयं के द्वारा अवैधानिक पारिवारिक समझौता पत्र तैयार कर राजस्व रिकार्ड मे गलत रुप से प्रविष्टिया अंकन कराने की चेष्टा की गयी है। जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नं 6 ने जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन मे अंकित किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्य वर्णित कर प्रार्थना पत्र पेश करने की कार्यवाही की गई है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो की खातेदारी राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्सेनुसार अप्रार्थी नं०।ता5 के नाम दर्ज चली आ रही है। भूमि ख०नं०894 व 896 ग्राम सिरोही की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी सं।व महेन्द्र सिंह के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्सेनुसार है। उक्त भूमि सभी प्रकार के ऋण भारो से मुक्त है। प्रतिवादी सं। महेन्द्र सिंह ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयो की आवश्यकता होने के कारण उक्त कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमियो को हिस्सा सम्पूर्ण का विक्रय उत्तरदाता रमेश गोदारा को विक्रय राशि

------5----

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

500000/- रुपयो में विक्रय करना तैय कर विक्रय राशि मे से दिनांक 4.6.2016 के एक लाख ग्यारह हजार नगद पेटे के रूप मे उत्तरदाता से अप्रार्थी स. महेन्द्र सिंह ने प्राप्त कर लिए। शेष राशि अदा कर अपने या अपने किसी प्रतिनिधि के नाम विधिवत बैनामा उप पंजियक कार्यालय से पंजिकृत कर सकेगा। विक्रेता पक्ष एवं उसके किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति नही है। उक्त भूमि मे पाल डोल्ड नियमित विक्रय मे शामिल है। इकरारनामा अप्रार्थीगण महेन्द्र विक्रेता द्वारा दिनांक 4.6.16 को एक सौ रुपये के स्टाम्प पर उत्तरदाता के हक मे तहरीर कराकर अपने - अपने हस्ताक्षर कर गवाहान जसवन्त व सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति मे उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नोटरी पब्लिक जयपुर के यहा प्रमाणित करा दिया गया। खरीदशुदा भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है। उक्त भूमियो की बाबत नवीन सैटलमेन्ट के दौरान मौके कि स्थिति के अनुसार नवीन ख० न० व खातेदारी दर्ज की है। उक्त भूमि पर उत्तरदाता का कब्जा काश्त है। बिना कब्जा कानूनन प्रकरण चलने योग्य नही है। उक्त भूमियो के सहखातेदार रणधीर सिंह की कथित विभाजन लेख पर कोई स्वीकृति नही है। उक्त अभाव में विभाजन लेख प्रारम्भ से ही शुन्य है। प्रार्थीगण व श्री मोहनलाल द्वारा विधि का दुरुपयोग किया जाकर व राजस्व हानि पहुंचा-कर कथित विभाजन लेख तैयार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण के विवादित भूमियो की बाबत दुरुस्ती की इस्त-दुआ चाही गयी है जो कानूनन धारा 136 रा० भू० राजस्व अधि० के अन्तर्गत पोषणीय नही है। विक्रय लेख मे कोई दिशा का उल्लेख नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

बकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने बताया कि भूमि ख०न० 574 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व ख०न० 595 रकबा 46 बीघा 1 बिस्वा, ग्राम सिरोही में स्थित है। जिसमे खातेदार रणधीर सिंह पुत्र सूरजबक्स सिंह से दिनांक 8-10-1963 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्री मोहनलाल मोदी द्वारा क्रय की गई थी। विक्रय पत्र मे खरीद शुदा भूमि की दिशाओ का भी वर्णन है। खरीद शुदा भूमि का नामा० सं 165 दिनांक 8-12-63 भरा गया था जिसके अनुसार प्रविष्टि की गई थी। श्री मोहनलाल मोदी ने अपनी खरीद शुदा भूमि के चारो तरफ 5-6 फुट ऊंचा डोला लगा रखा है। खरीद शुदा भूमि मे तीन कुए है। जिन पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। मोहनलाल मोदी ने अपने जीवन-काल मे ही भूमि का पंजिबद्ध विभाजन पत्र उप पंजीयन नीमका-थाना में दिनांक 24-5-1983 के द्वारा विभाजन कर दिया था। जिसके जरिये नामा० सं 790 दिनांक 19.8.1983 भरा गया एवं बट्टा नम्बर डाल गये। तरमीम की हो चुकी है। नवीन सैटलमेन्ट के दौरान नक्शे मे हमारी भूमि गलत दिखा दी गई।

....6....

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

सैटलमेन्ट द्वारा हुई गलती का अप्रार्थीगण ने नाजायज फायदा उठाकर अलग-अलग दो एग्रीमेन्ट भूमि बाबत करा लिये। एग्रीमेन्ट से भूमि के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त गलती करने का सैटलमेन्ट के कर्मचारियो को कोई अधिकार नही है। तहसीलदार नीमकाथाना से रिर्पोट प्राप्त हो चुकी है जिसमे सभी तथ्यो का स्पष्ट वर्णन किया गया है। विक्रय पत्र में दिशाओ का अंकन दर्ज है। इकरारनामे से इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी कोई सहायता प्राप्त नही कर सकते। अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई सम्बध नही है। ना ही अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा है। राजस्व रिकार्ड मे नवीन सेटलमेन्ट के दौरान गलती हुई है। उक्त भूमि पर शुरू से लेकर आज तक प्रार्थीगण का कब्जा रहा है एवं है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने 2018 (2) CIVIL COURT C. 8065 नजीर पेश करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कि जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी न० 5 ने बताया कि रजिस्ट्री मे दिशाओ का अंकन नही है। हमने भूमि खातेदार से खरीद की है। पूर्व मे बटवारा नही हुआ था। विभाजन पत्र अवैध है। हमारा भूमि पर कब्जा है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी न० 6 ने बताया कि अप्रार्थीगण 1 ता 4 भूमि के खातेदार है। सहखातेदारो के मध्य आपस मे बटवारा नही हुआ था। उक्त भूमि प्रतिवादी स० 1 से खरीद की है। हमारा कब्जा है। प्रार्थना पत्र मे जिस विभाजन पत्र का उल्लेख किया है वह अवैध है। खातेदार से कब्जा लिया है। अत: प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

बहस वकुलाए उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि पुराने ख० न० 574 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ख० न० 595 रकबा 46 बीघा 1 बिस्वा तन ग्राम सिरोही मे स्थित थी जिसकी खातेदारी रणधीरसिंह पुत्र सूरजबक्स सिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसमे से खातेदार रणधीर सिंह से 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 8-10-63 को जरिये विक्रय पत्र श्री मोहनलाल मोदी ने खरीद की थी जिसका नामान्तकरण सं 165 दिनांक 8-12-1963 को भरा गया था। विक्रय पत्र मे भी ख० न० 574 रोड के पश्चिमी तरफ व ख० न० 595 का जो भाग 32 बीघा 10 बिस्वा क्रय किया गया उसे रोड के पूर्वी तरफ बताया है। प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र मे दिशा का अंकन है। श्री मोहनलाल मोदी द्वारा जो भूमि खरीद की गई थी वो रोड के पूर्वी तरफ बताई गई है। मोहनलाल मोदी द्वारा दिनांक 24-5-1983 को उपरी खरीद शुदा भूमि का पंजिबद्ध विभाजन कर उसको पाच भागो मे बाट लिया जो विभाजन उप पंजियन कार्यालय नीमकाथाना से पंजीबद्ध है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

उक्त रजिस्टर्ड बटवारा नामा का राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण सं 790 दिनांक 14.6.1983 द्वारा किया गया है। जिसकी नजरी तरमीम भी हो चुकी है। नवीन सैटलमेन्ट द्वारा 595 रकबा 46 बीघा। किता के नवीन ख०न० 893/0.27 894/0.01 895/0.01 896/3.15 893/2521 रकबा 1.64 ख०न० 896/2522 रकबा 1.64 896/2523 रकबा 1.64 896/2524 रकबा 1.64 896/2525 रकबा 1.64 बनाये गये। जिनमे से ख०न० 894, 895 896 893/2522 893/2523 893/2524 893/2525 की तरमीम एवं खातेदारी मुताबिक नामा० सं 790 एवं मौके पर स्थित चार दिवारी के अनुरूप दर्ज नही की गई। जो रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के अवलोकन से स्पष्ट है। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट व प्रस्तुत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि नवीन सैटलमेन्ट के दौरान होना पाई जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कराये गये एग्रीमेन्ट के तहत इस न्यायालय द्वारा कोई सहायता प्रदान नही की जा सकती। वैसे भी इकरारनामा से कोई अधिकार प्राप्त नही होते। प्रस्तुत पुराना राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त त्रुटि नवीन सैटलमेन्ट के दौरान तैयार करते समय रिकार्ड व नक्शे मे हुई है। प्रस्तुत रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act के तहत होना पाया जाता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होती है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को रिपोर्ट दिनांक 20-12-2017 के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट दिनांक 20-12-2017 आदेश का भाग रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 18-6-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner